

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति 141 अनुभाग

संख्या-1855/दो-4-93-32111/09

लखनऊ, दिनांक 26 अगस्त, 1993

विज्ञापित
नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1989 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उक्त सेवा में अस्थायी मुंसिफ के पद पर इस प्रतिबंध के साथ नियुक्त करके उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित न्यायालय/जिले में तैनात किया जाता है कि उनकी नियुक्तियां माउच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन विशेष याचिका संख्या-निल/93- लोक सेवा आयोग, उ०प्र० बनाम विनय चारे एवं रिट याचिका संख्या-32340/92- अमरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगी तथा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पहले नियुक्त किये गये अथावा बाद में नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बाद में निर्धारित की जायेगी :-

क्रम सं० अभ्यर्थी का नाम

अस्थाई मुंसिफ के पद पर तैनाती का
न्यायालय/जनपद

.....
1..... 2..... 3.....

1- सर्वश्री अविनाश सक्सेना	प्रतापगढ़
2- ,, जीतेन्द्र कुमार सिंह	गाजीपुर
3- ,, इरफान कमर	डीडीहाट, सिधौरागढ़
4- ,, कुवाण्णी रंजन अग्रवाल	गाजीपुर
5- ,, सुरेन्द्र सिंह	मैनपुरी
6- ,, सुनील कुमार गुप्ता	छुर्जा, बुलन्दशहर
7- ,, पीयूष वर्मा	अमरोड़ा, मुरादाबाद
8- ,, बल्लू सिंह	फर्रुखाबाद
9- ,, श्याम जीत यादव	जौनपुर
10- ,, जय प्रकाश सिंह	वलिया
11- ,, राम मिलन सिंह	प्रतापगढ़
12- ,, रमाकान्त सेठ	वलिया
13- ,, अशोक कुमार	संभल, मुरादाबाद
14- ,, रवीन्द्र कुमार	वाराणसी
15- ,, हरीश त्रिपाठी	सोनभद्र
16- ,, पंकज कुमार उपाध्याय	कसिया, देवरिया
17- ,, सत्य प्रकाश त्रिपाठी	मोहम्मदाबाद, गाजीपुर


.....2
Oms

- 2- निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा० उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-718/जे० आर० एस्० 1/93, दिनांक 10 अगस्त, 1993 के संदर्भ में उक्त विज्ञापित की 60 अतिरिक्त प्रतियों तथा संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन पत्रों एवं उनके संलग्नों सहित इस मंतव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में विना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से शासन को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आयोग के पत्र सं०-ई०-161/2/ई-2/88-89 दिनांक 22/12/92, सं०-ई-161/2/ई-2/88-89 दिनांक जनवरी, 93, सं०-ई-228702/ई-2/88-89 दिनांक 3/3/93, के संदर्भ में।
- 4- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र० शिक्षा विर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन, इलाहाबाद।
- 5- संबंधित जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को इस मंतव्य सहित प्रेषित कि वे अपने जन्मपद में तैनात किए जा रहे अभ्यर्थियों द्वारा योगदान प्रस्तुत करने की स्थिति से निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा शासन के नियुक्ति अनुभाग-4 को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र०, ए-1/19 विशिवास छाण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ
- 7- सचिव, न्याय विभाग तथा विधि परामर्शी, उ० प्र० शासन
- 8- न्याय अधीनस्था न्यायालय अनुभाग
- 9- संबंधित अभ्यर्थी अपने संलग्न तालिका में अंकित है, को इस निदेश सहित प्रेषित कि वह अपनी तैनाती के संबंध में निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित करें तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि विना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में उसका कोई दावा फिर इस सेवा में नियुक्त के लिए नहीं रहेगा।

अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, को तत्काल भेजे।

उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि मुंसिफ के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ से निदेश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा जब तक वह मुंसिफ के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है वह अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता आदि भी अनुमन्य नहीं होगा।

आज्ञा से,


। कालिका प्रसाद ।
सचिव